न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी बिलाडा (जिला–जोधपुर) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मृदुला शेखावत, आर०ए०एस०

राजस्व प्रा0पत्र संख्या : 03/2025

–: प्रार्थीया/प्रतिवादीगण :–

चन्द्रकान्ता पत्नि जयराम जाति कुमावत निवासी पटवारी का बेरा, ग्राम हर्ष तहसील बिलाडा जिला जोधपुर राजस्थान

बनाम

–: अप्रार्थीगण/वादीगण :–

1. तुलछी देवी पत्नि स्व. लाबूराम
2. ओमप्रकाश पुत्र स्व. लाबूराम
3. हरीराम पटेल पुत्र स्व. लाबूराम
4. अनिल कुमार पुत्र स्व. श्री लाबूराम जातियान कुम्हार (प्रजापति) निवासीगण पटवारी का बेरा ग्राम हर्ष तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
5. दिनेश कुमार पुत्र पुखराज
6. महेन्द्र पटेल पुत्र पुखराज जातियान कुम्हार (प्रजापति) निवासीगण रिक्तिया भैरू चौराहा, बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
7. शाखा प्रबन्धक भूमि विकास बैंक शाखा बिलाडा, बिलाडा
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) एवं पदेन उप पंजीयक बिलाडा

प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 सी.पी.सी

उपस्थितः–

1. प्रार्थी/प्रतिवादीगण– श्री सुनील पटेल, राजेन्द्र कुमार पटेल, मन्जू पटेल, जगदीश चौहान, अधिवक्ता।
2. अप्रार्थी/वादीगण– श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता।

–:: निर्णय ::– **दिनांकः–** 17/07/25

अधिवक्ता प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सी.पी.सी का पेश किया कि अप्रार्थीगण संख्या–01 ता 06 द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थीयाध्प्रतिवादीगण संख्या – 01 व अप्रार्थीगण संख्या – 07 व 08 के विरूद्ध महत्वपूर्ण तथ्यो को छुपाते हुए प्रस्तुत किया जिसकी पूर्व में कोई जानकारी प्रार्थीया को न्यायालय श्रीमान् के समक्ष विचाराधीन उपरोक्त विचाराधीन वाद की नहीं थी तथा प्रथम बार उक्त विचारधीन वाद में न्यायालय श्रीमान् द्वारा पारित प्राथमिक डिकी के निष्पादन की कार्यवाही बाबत् भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा जारी नोटिस की सूचना बाबत् वादग्रस्त कृषि आराजी का बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करने हेतु प्रेषित होने के पश्चात् प्रार्थीया को नोटिस की जानकारी को हुई तब प्रार्थीया को न्यायालय श्रीमान् के समक्ष उपरोक्त विचाराधीन वाद की प्रथम बार प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त हुई तब प्रार्थीया द्वारा न्यायालय श्रीमान् के समक्ष उपरोक्त राजस्व मूल वाद संख्या– 66/2024 बअनवान तुलछीदेवी वगैरा बनाम चन्द्रकांता वगैरा में त्वरित प्रभाव से उक्त वाद की सम्पूर्ण पत्रावली की सत्य प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

जिस पर दिनांक 03/01/2025 को विचाराधीन वाद की सम्पूर्ण सत्यप्रमाणित प्रतिया प्राप्त हुई तब प्रार्थीया को यह प्रथम बार सम्पूर्ण तथ्यों जानकारी हासिल हुई कि अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 06 द्वारा प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण संख्या– 07 व 08 के विरूद्ध उक्त राजस्व मूल वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का दिनांक 21/06/2024 को प्रस्तुत किया तथा न्यायालय श्रीमान् द्वारा अपनी आदेशिका में यह आदेश दिनांक 16/10/2024 को पारित किया कि उक्त वाद में प्रार्थीया को सम्मन रजिस्टर्ड डाक से बाद तामील प्राप्त हुआ उपस्थित हेतु पर्याप्त अवसर दिया। प्रतिवादी संख्या 01 अनुपस्थित तथा बार बार आवाज लगाई गई तथा प्रतिवादी संख्या–01 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है तथा आगामी तारीख 05/11/2024 को नियत की गई। तथा बाद दिनांक 05/11/2024 को आदेशिका में यह आदेश पारित किया किष वादी वकील उपस्थित प्रतिवादी संख्या– 02 को जवाब हेतु अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 20/11/2024 को पेश हो।ष बाद में दिनांक 20/11/2024 को यह आदेश पारित किया कि ष्पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित प्रतिवादी संख्या–02 का सम्मन रजिस्टर्ड डाक से बाद तामील उपस्थित हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया आज भी अनुपस्थित । लिहाजा प्रतिवादी संख्या– 02 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वादी वकील ने वादी ओमप्रकाश का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया। वादी वकील की बहस सुनी गयी निर्णय प्राथमिक हेतु आयंदा दिनांक 02/12/2024 को पेश हो। तत्पश्चात् न्यायालय श्रीमान् द्वारा दिनांक 02/12/2024 को उक्त राजस्व मूल वाद संख्या–66/2024 में निम्नांकित आदेश पारित कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की कि पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वादीगण के वाद पत्र पर मनन किया गया। वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी प्रमाण जमांबदी सवत् 2075 से 2078 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया जिससे यह विधित होता है कि वादी व प्रतिवादीगण सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि के रेकर्डेड सह खातेदार है तथा वादी व प्रतिवादीगण के मध्य विधिवत् व लिखित बंटवाडा नहीं हो रखा है तथा न ही वादीगण एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में वर्णित अनुसार हिस्से की तरमीम राजस्व नक्शे में हो रखी है इसलिए सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि का बंटवाडा किया जाना उचित प्रतीत होने के कारण वादीगण का वाद प्रारम्भिक डिकी किया जाना न्यायसंगत है। अतः वादीगण का वाद प्रारम्भिक डिकी किया जाकर ग्राम हर्ष की सरहद में स्थित भूमि खसरा नंबर 14 रकबा 0.8800 हैक्टेयरर खसरा नंबर 30 रकबा 1.9982 हैक्टेयर का वादीगण की राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउन्स बंटवाडा कर बंटवाडा प्रस्ताव प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाडा को आदेश प्रदान किया जाता है। तहसीलदार बिलाड़ा राजस्थान टीनेंसी एक्ट के नियमों के प्रावधानों के तहत विभाजन प्रस्ताव बाई मिट्स एण्ड बाउन्स तलब कर रास्ता आदि की कार्यवाही कर बंटवाडा प्रस्ताव बनाकर भिजवाये। प्राथमिक डिकी जारी हो। उक्त एक पक्षीय आदेश दिनांक 16/10/2024 व दिनांक 02/12/2024 को जारी प्राथमिक डिकी से व्यथित होकर प्रार्थीया निम्नानुसार आधारों पर उक्त एक पक्षीय आदेश दिनांक 16/10/2024 व प्राथमिक डिकी दिनांक 02/12/2024 को निरस्त करवाने की अधिकारिणी है। विचारधीन वाद संख्या– 66/2024 बअनवान तुलछीदेवी वगैरा बनाम चन्द्रकाता वगैरा में विचारधीन वाद बाबत् कोई विधिवत् नोटिस प्रार्थीया को तामील नहीं हुआ है। तथा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 05 की विहित प्रक्रिया की कोई पालना

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

विचाराधीन वाद में नहीं की गई है, ना ही प्रार्थीया को सम्यक् रूप से विधिवत् नोटिस प्रार्थीया को प्राप्त नहीं हुआ तथा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 05 में सम्मन की विधिवत् तामील की प्रकिया विहित है जिसकी कोई पालना विचाराधीन वाद में नहीं की गई है। विचाराधीन वाद में अप्रार्थीगण/वादीगण संख्या 01 ता 06 द्वारा प्रार्थीया व अप्रार्थीगण संख्या 07 व 08 के विरूद्ध उक्त वाद दिनांक 13/06/2024 को प्रस्तुत किया जिस पर न्यायालय श्रीमान् द्वारा दिनांक 21/06/2024 को उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी जरीये सम्मन जारी होकर पत्रावली आयन्दा दिनांक 10/07/2024 को पेश हो। विचाराधीन प्रकरण में न्यायालय श्रीमान् के आदेश दिनांक 21/06/2024 की पालनार्थ कोई सम्मन प्रार्थीया व अप्रार्थीगण संख्या - 07 व 08 को जारी किये गये या नहीं किये गये इस बाबत् कोई पृष्ठाकंन नहीं है अगर जारी किये गये है तो उसकी रिपोर्ट तामील कुलिंदा द्वारा किस रूप में प्राप्त हुई उक्त रिपोर्ट भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। विनिर्दिष्ट रूप से पत्रावली का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि दिनांक 21/06/2024 के आदेश की पालनार्थ कोई विधिवत् नोटिस तामील कुलिंदा को जारी ही नहीं किये गये जबकि विधायिका का यह स्पष्ट उद्देश्य है कि प्रथम सम्मन तामील कुलिंदा के मार्फत ही सम्मन की तामील किया जाना अनिवार्य है परन्तु विचाराधीन प्रकरण में उक्त नियमों की कोई पालना ही नहीं की गई। तथा आगामी तारीख दिनांक 10/07/2024 को न्यायालय श्रीमान् द्वारा उपरोक्त विहित प्रक्रिया के अभाव में पूर्ण गुणायगुण पर विचार किये बगैर मात्र वादीगण द्वारा सम्मन को रजिस्टर्ड डाक से जारी करने हेतु प्रस्तुत किया जिस पर न्यायालय श्रीमान् द्वारा दिनांक 10/07/2024 को यह आदेश पारित किया कि प्रतिवादीगण संख्या - 01 को सम्मन रजिस्टर्ड डाक से प्राप्त किया व जारी किया जबकि विचाराधीन वाद में सम्मन रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित करने बाबत् प्रस्तुत होने के पश्चात् सम्मन जारी करने बाबत् रजिस्टर्ड इन्द्राज करने पर उसके विनिर्दिष्ट नंबर अंकित करने के पश्चात् ही उक्त सम्मन जारी किये जा सकते है परन्तु उक्त विहित प्रक्रिया की कोई पालना विचाराधीन वाद में नहीं की गई और ना ही ऐसा कोई नोटिस रजिस्टर्ड लिफाफा मय डाक ए.डी पूर्ण पता सहित पत्रावली पर उपलब्ध ही नहीं है तथा दिनांक 10/07/2024 की आदेशिका में आगामी पेशी दिनांक 16/07/2024 को नियत की गई थी। दिनांक 16/07/2024 की आदेशिका का अवलोकन करे तो दिनांक 16/07/2024 को यह आदेश पारित किया गया कि वादी वकील उपस्थित प्रतिवादी संख्या- 01 का सम्मन रजिस्टर्ड डाक से पेश किया और प्रतिवादी संख्या-02 व 03 का सम्मन बाद तामिल प्राप्त हो चुके है। पत्रावली आयन्दा दिनांक 05/08/2024 को पेश हो। न्यायालय श्रीमान् के आदेशानुसार अगर वादीगण/अप्रार्थीगण संख्या-01 ता 06 द्वारा प्रार्थीया/प्रतिवादी संख्या - 01 को जो सम्मन रजिस्टर्ड डाक से पेश किया तब न्यायालय श्रीमान् प्रथमतः उक्त सम्मन जो मूल वाव में विवाधको का स्थिरीकरण तथा जहां तक अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् कारण बताओ नोटिस का अवलोकन करना न्यायालय का प्रथम कर्तव्य है कि उक्त सम्मन पर प्रतिवादीगण का पूर्ण नाम, पति का नाम, जाति, एवं उसका पूर्ण पता सम्मन में अंकित है या नहीं है इसकी जांच करने के पश्चात ही अगर उस सम्मन पर नाम, पति का नाम, जाति, और उसका पूर्ण पता सही होने की स्थिति में ही उस सम्मन का विधिवत इन्द्राज सम्मन रजिस्टर्ड में किया जाकर उसके नंबर उस सम्मन पर अंकित कर जरिये दस्ती अधिवक्ता वादी को सुपुर्द किया जाता है परन्तु विचाराधीन वाद में इस प्रकार की कोई प्रकिया अपनाई नहीं गई है

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिसाऊ

तथा विचाराधीन वाद में स्वयं वादीगण/अप्रार्थीगण संख्या–01 ता 06 के अधिवक्ता द्वारा सम्मन की द्वितीय प्रति व ट्रेकिंग रिपोर्ट फ०र्म नंबर 03 के साथ संलग्न कर प्रस्तुत की गई है अगर फ०र्म नंबर 03 के साथ संलग्न सम्मन की द्वितीय प्रति का अवलोकन करे तो सम्मन प्रथमतः विवाधको का स्थिरीकरण बाबत् जारी किया गया या नहीं किया गया ऐसा कोई सम्मन रेकर्ड पर उपलब्ध नहीं है, ना ही स्वयं अप्रार्थीगण/वादीगण संख्या– 01 ता 06 द्वारा फ०र्म नंबर 03 के साथ प्रस्तुत किया है तथा सम्मन की जो प्रति फ०र्म नंबर 03 के साथ जो प्रस्तुत की है वह मात्र कारण बतलाने हेतु सूचना बाबत् नोटिस है इसका अगर अवलोकन करे तो उस सम्मन में प्रार्थीया/प्रतिवादीगण संख्या–01 का पूर्ण पता उल्लेखित ही नहीं है। तथा वादीगण को प्रार्थीया/प्रतिवादीगण संख्या– 01 का पूर्ण पते का पूर्ण ज्ञान व भान था जो स्वयं वादीगण/अप्रार्थीगण संख्या–1 ता 06 द्वारा प्रस्तुत वाद में प्रार्थीया/प्रतिवादीगण संख्या– 01 का पता पटवारी का बेरा, ग्राम हर्ष, तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर राजस्थान अंकित है ऐसे में सम्मन स्वयं अपने आप में ही अपूर्ण है तथा विचारधीन प्रकरण में न्यायालय श्रीमान द्वारा जब रजिस्टर्ड डाक के द्वारा दिनांक 16/07/2024 को वादीगण/अप्रार्थीगण संख्या– 01 ता 06 द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया तथा आगामी पेशी दिनांक 05/08/2024 को नियत की गई तथा वादीगण/अप्रार्थीगण संख्या– 01 ता 06 को जब सम्मन मय डाक लिफाफा को जारी करने बाबत् दिनांक 16/07/2024 को सुपुर्द कर दिया गया तो ऐसी स्थिति में वादीगण/अप्रार्थीगण संख्या– 01 ता 06 द्वारा जानबूझकर निर्धारित समयावधि में डाक विभाग में जारी करने हेतु प्रस्तुत नहीं किया तथा जानबूझकर दिनांक 02/08/2024 तक उक्त सम्मन को अपने पास रखा तथा दिनांक 03/08/2024 को शनिवार को उक्त डाक विभाग में प्रेषित करने हेतु प्रस्तुत किया तथा उक्त सम्मन मय लिफाफा मय ए.डी पर अगर प्रार्थीया का पूर्ण पता सही अंकित किया होता तो उसका प्रमाण वादीगण/अप्रार्थीगण संख्या– 01 ता 06 द्वारा प्रस्तुत किया गया होता तथा जब दिनांक 05/08/2024 को विचाराधीन प्रकरण में तारीख नियत थी तथा न्यायालय श्रीमान् द्वारा दिनांक 05/08/2024 को उक्त तथाकथित सम्मन अपूर्ण पता सहित सुबह 10.30 बजे पर उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया जबकि ट्रेकिंग रिपोर्ट स्वयं वादीगण/अप्रार्थीगण संख्या–01 ता 06 स्वयं द्वारा प्रस्तुत की गई है अगर अवलोकन करे तो दिनांक 05/08/2024 को न्यायालय श्रीमान् द्वारा उक्त ट्रेकिंग रिपोर्ट के आधार पर ही प्रार्थीया/प्रतिवादीगण संख्या 01 के विरूद्ध एक पक्षीय आदेश व प्रारम्भिक डिकी पारित की गई है। अगर उक्त ट्रेकिंग रिपोर्ट का अवलोकन करे तो दिनांक 05/08/2024 को 15:57:07 बजे उक्त आईटम ऐड्रेसी को रूप से तामील होना बताया है जबकि उसी ट्रेकिंग रिपोर्ट में दिनांक 05/08/2024 को 17:44:56 को आईटम आन होल्ड डोर ल०कर्ड–इन्टीमेशन सर्वड का अंकन है तथा इसी तरह इसी ट्रेकिंग रिपोर्ट का अवलोकन करे तो दिनांक 05/08/2024 को 17:44:45 बजे आउट फॉर डिलीवरी अंकित है ऐसे में ट्रेकिंग रिपोर्ट अपने आप में ही विश्वसनीय नही है, ना ही इस आधार पर तामिल होना प्रमाणित है एवं स्पष्ट रूप से संदेहास्पद है एवं वादीगण द्वारा पोस्टमेन से मिली भगत कर उक्त ट्रेकिंग रिपोर्ट तैयार करवाई है जो रिपोर्ट के अवलोकन मात्र से प्रमाणित है। न्यायालय श्रीमान् द्वारा उक्त ट्रेकिंग रिपोर्ट का विधिवत् अवलोकन किये बगैर प्रार्थीया/प्रतिवादीगण संख्या 01 के विरूद्ध जो एक पक्षीय आदेश दिनांक 16/10/2024 व प्रारम्भिक डिकी दिनांक 02/12/2024 को जारी की गई है वह पूर्ण रूप से विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी

जाने योग्य है तथा वास्तविक स्थिति में प्रार्थीया को न्यायालय श्रीमान् के समक्ष विचाराधीन वाद की कोई जानकारी दिनांक 02/01/2025 से पूर्व नहीं थी, ना ही न्यायालय श्रीमान् द्वारा जारी सम्मन की कोई जानकारी ही हुई थी। विचाराधीन प्रकरण में समस्त आदेशिकाएं व उपरोक्त आधारों का अगर अवलोकन करे तो विचारधीन प्रकरण में न्यायालय श्रीमान् द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 05 नियम 02 व नियम 6 ए राजस्थान अधिनस्थ न्यायालय मामला प्रवाह प्रबंधन नियम 2006 के तहत हर सम्मन के साथ वाद पत्र की प्रति व दस्तावेज की प्रति संलग्न करने के उपरांत ही सम्मन जारी किये जा सकते है। विचाराधीन वाद में उक्त प्रक्रिया की कोई पालना नही की गई है साथ ही आदेश 05 के तहत प्रारम्भिक तौर पर सम्मन जरिये तामील कुलिंदा करवाना सामान्य नियम है परन्तु उक्त नियमों की कोई पालना नहीं की गई तथा सीधे तौर पर रजिस्टर्ड डाक के मार्फत जो आदेश पारित किया गया है वह अपवाद स्वरूप किया जा सकता है परन्तु प्रथमतः न्यायालय द्वारा सम्मन की तामील सामान्य नियमों के अनुसार न्यायालय के अधिनस्थ तामील कुलिंदा के मार्फत करना अनिवार्य है तथा सबस्टियूट सर्विस बाबत् न्यायालय को विनिर्दिष्ट कारण दर्शाते हुए कि किन कारणों से व्यक्तिगत तामील कुलिंदा के मार्फत सम्मन की तामील नहीं हो रही है तो ऐसी सूरत में अपवाद स्वरूप सबस्ट्यूटि सर्विस की प्रक्रिया अपनायी जा सकती है परन्तु विचाराधीन प्रकरण में व्यक्तिगत तामील कुलिंदा के मार्फत सम्मन की तामील नहीं करवाई गई है तथा सीधे तौर पर सम्मन डाक द्वारा प्रेषित किया गया है तथा विचाराधीन प्रकरण में न्यायालय श्रीमान् के आदेश अनुसार रजिस्टर्ड डाक जरिये ए.डी के आदेश की पालनार्थ अगर उक्त रजिस्टर्ड लिफाफा प्रार्थीया को प्राप्त हो गया होता तो उसकी प्राप्ति रसीद भी रेकर्ड पर होती तथा ना ही वादीगण/अप्रार्थीगण संख्या-01 ता 06 द्वारा भी पावती रसीद प्रस्तुत की गई है तथा जहां तक विचाराधीन वाद में ट्रेकिंग रिपोर्ट उपरोक्त वर्णित आधारों पर पूर्ण रूप से संदेहास्पद स्थिति उत्पन्न करता है जो कतई तामील की परिभाषा में नहीं आता है तथा वास्तविक तोर पर भी प्रार्थीया को विचाराधीन वाद के प्रस्तुत होने से लेकर आगामी कार्यवाही की कोई जानकारी प्रार्थीया को नही थी तथा प्रार्थीया को प्रथमतः उक्त वाद की प्रारम्भिक जानकारी दिनांक 02/01/2025 को हुई है तत्पश्चात् उक्त वाद की सम्पूर्ण पत्रावली की सत्य प्रमाणित प्रति प्राप्त करने पर सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी प्राप्त हुई है तथा जानकारी प्राप्त होते ही त्वरित प्रभाव से प्रार्थीया द्वारा निश्चित समयावधि के भीतर भीतर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। उपरोक्त आधारों के साथ ही साथ विचाराधीन प्रकरण जो दावा बाबत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का है तथा प्रार्थीया जो उपरोक्त भूमि की सहकाश्तकार है तथा उनके बीच कृषि भूमि के बंटवाडे को विचाराधीन वाद का व्यवस्थित एवं स्थाई निस्तारण दोनो पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये जाने के बाद ही किया जा सकता है। अगर प्रार्थीया के विरूद्ध एक पक्षीय आदेश व एक पक्षीय प्रारम्भिक डिकी जो प्रार्थीया के विरूद्ध जारी की गई है अगर उसे मन्सूख नहीं किया जाता है तो प्रार्थीया सदैव सदैव के लिये न्याय से महरूम हो जायेगी तथा विधि का यह सारभूत सिद्धान्तो के साथ ही साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के तहत प्रत्येक वाद में पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरांत ही कोई न्याय निर्णय पारित किया जा सकता है जिससे किसी पक्ष के हक, हकूक व अधिकारों पर कुठाराघात न हो। प्रार्थीया को प्रथमतः उक्त वाद की प्रारम्भिक जानकारी दिनांक 02/01/2025 को हुई है तत्पश्चात् उक्त वाद की सम्पूर्ण पत्रावली की सत्य

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

प्रमाणित प्रति प्राप्त करने पर सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी प्राप्त हुई है तथा जानकारी प्राप्त होते ही त्वरित प्रभाव से प्रार्थीया द्वारा निश्चित समयावधि के भीतर भीतर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। जो अन्दर म्याद प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय श्रीमान् जी से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों व परिस्थितियों के आधार पर साथ ही प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारो पर न्याय हीत में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाते हुए विचाराधीन वाद में प्रार्थीया के विरूद्ध जो एक पक्षीय आदेश दिनांक 16/10/2024 व प्रारम्भिक डिकी दिनांक 02/12/2024 को अपास्त किया जाकर प्रार्थीया को उक्त वाद सं. 66/2024 तुलछीदेवी वगैरा बनाम चन्द्रकांता वगैरा में नियमानुसार सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये जाने का न्यायोचित आदेश फरमावे। अन्य कोई न्यायोचित आदेश जो प्रार्थिया के पक्ष में हो वह भी अता फरमाई जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण/वादीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसमें में कथन किया है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 व आधार के पद संख्या 1.2. 3, 4, 5 में वर्णित तथ्य अपूर्ण, झूठे व मनगढन्त लिखे है, जो अस्वीकार है। सही तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 1 से 6 ने राजस्व ग्राम हर्ष तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 14 रकबा 0.8899 हैक्टेयर व खसरा संख्या 30 रकबा 1.9982 हैक्टेयर की चालु जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 में दर्ज अप्रार्थी संख्या 1 के 1/6 व० हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 2 के 1/6 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 3 के 1/6 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 4 के 1/6 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 5 के 1/12 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 6 के 1/12 हिस्सा के सम्बंध में प्रस्तुत वाद बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश किया। जिसमें प्रार्थी की सुनवाई हेतु माननीय न्यायालय द्वारा साधारण प्रक्रिया से तामिल हेतु सम्मन जारी किये परन्तु तामिल कुनिन्दा द्वारा जारी सम्मन को न तो तामिल करवाया वन ही माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 से 6 द्वारा प्रार्थी का सम्मन अप्रार्थी संख्या 1 से 6 के खर्चे से रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी का नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक से अप्रार्थी संख्या 1 से 6 के खर्च से भेजने हेतु आदेश पारित किया तथा आदेश की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 से 6 द्वारा प्रार्थी का सम्मन रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित करने हेतु माननीय न्यायालय में पेश किया, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी का सम्मन रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित करने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 से 6 के अधिवक्ता को जरिये दस्ती सुपुर्द किया तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 6 के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी का सम्मन दिनांक 03.08.2024 को रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किया, जो प्रार्थी को दिनांक 05.08.2024 को प्राप्त हो गया तथा जिसके सम्बंध में अप्रार्थी संख्या 1 से 6 के अधिवक्ता द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष फार्म नं. 3 के साथ सम्मन की द्वितीय प्रति व पोस्टल रसीद की मूल प्रति व ट्रेकिंग रिपोर्ट पेश की। जिसके आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी का सम्मन रजिस्टर्ड डाक से विधिवत व सम्यक रूप से तामिल होना मानते हुए प्रार्थी बावजुद सम्मन तामिल उपस्थित नही होने पर प्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जाने का आदेश पारित किया। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की कोई विधिक भूल नही की। तत्पश्चात् माननीय न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 का साक्ष्य हेतु शपथ पत्र रेकर्ड पर

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

लेकर दिनांक 02.12.2024 को निर्णय व प्राथमिक डिक्री जारी की। जिसमें भी माननीय न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की कोई विधिक भूल नही की गयी। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिले निरस्तनीय है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उसका सम्मन तामिल के सम्बंध में अनियमितता के आधार लिये, जबकि कानूनन सम्मन तामिल की अनियमितता के आधार पर एकपक्षीय डिक्री को अपास्त नही किया जा सकता है। इसलिए प्रार्थी द्वारा उसके सम्मन तामिल के सम्बंध में अनियमितता के तकनीकी आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के जरिये माननीय न्यायालय द्वारा जारी एकपक्षीय निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.12.2024 को कानूनन अपास्त नही किया जा सकता है। इस आधार पर भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिले निरस्तनीय है। अप्रार्थी संख्या 1 से 6 द्वारा प्रस्तुत वाद बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् है जिसमें बंट का निर्धारण तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा बंटवाडा प्रस्ताव प्रस्तुत होने के बाद उभय पक्षों की आपति सुनने के बाद निर्णय व अन्तिम डिक्री द्वारा किया जाता है। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 से 6 द्वारा प्रस्तुत वाद में अभी तक न तो तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा बंटवाडा प्रस्ताव पेश किया है व न ही माननीय न्यायालय द्वारा कोई निर्णय व अन्तिम डिक्री जारी की है। माननीय न्यायालय द्वारा प्रस्तुत वाद में मात्र अप्रार्थी संख्या 1 से 6 के चालु जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार ही बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किये जाने हेतु निर्णय दिनांक 02.12.2024 द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी की है, जिससे प्रार्थी के दर्ज हिस्से में किसी प्रकार का कोई बदलाव ६ परिवर्तन नहीं किया गया है व न ही प्रार्थी का दर्ज हिस्सा प्रभावित हुआ है। कानूनन प्रार्थी बिना एकपक्षीय निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.12.2024 को अपास्त करवाये अप्रार्थी संख्या 1 से 6 द्वारा प्रस्तुत वाद में आगामी कार्यवाही में भाग ले सकती है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में भी एकपक्षीय निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.12.2024 द्वारा उसका वादग्रस्त कृषि भूमि की जमाबन्दी में दर्ज हिस्सा किसी प्रकार से प्रभावित होने का कोई उल्लेख नही किया है तथा प्रार्थी द्वारा स्वयं प्रार्थना पत्र के आधार संख्या 4 में वादग्रस्त कृषि भूमि का सह काश्तकार होना स्वीकार किया है तथा कानूनन संयुक्त खातेदारी भूमि में प्रत्येक इन्च पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा होना माना जाता है तथा सहखातेदारी भूमि में एडवर्स पजेशन का सिद्धान्त लागू नही होता है। इसलिए माननीय न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 6 के दर्ज हिस्से अनुसार निर्णय दिनांक 02.12.2024 द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी करने में किसी भी प्रकार की कोई विधिक भूल नहीं की है, इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिले निरस्तनीय है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. को खारिज किया जावे।

हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातों का अवलोकन, प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थीगण/वादीगण के जवाब प्रार्थना पत्र तथा माननीय राजस्व न्यायलय द्वारा हस्तगत प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 02.12.2024 का ससम्मान अध्ययन किया, विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस को ध्यानपूर्वक सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन कर उस पर मनन किया। अप्रार्थी/वादीगण तुलछीदेवी वगैराह ने दिनांक 21.06.2024 को प्रार्थीगण के विरूद्ध एक राजस्व वाद बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का राजस्व वाद संख्या 66/2024 वादीगण

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

तुलछीदेवी बनाम प्रतिवादीगण चन्द्रकांता वगैराह का पेश किया, प्रकरण की आगामी तारीख पेशी दिनांक 10.07.2024 मुकर्र कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मनस् तलब किया गया तथा दिनांक 10.07.2024 को प्रतिवादी सं. 1 को रजिस्टर्ड डाक से सम्मन जारी किया एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 का बाद तामिल प्राप्त हुआ, जिसकी आगामी तारीख पेशी 16.07.2024 मुकर्र की गई। आगामी तारीख पेशी 05.08.2024 को वकीलों द्वारा कार्य बहिष्कार होने के कारण आगामी तारीख पेशी 21.08.2024 मुकर्र की गई। तारीख पेशी दिनांक 21.08.2024 को पीठासीन अधिकारी बिलाडा दौरे पर दिगर कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 23.09.2024 को मुकर्र की गई तथा दिनांक 23.09.2024 को वादी अधिवक्ता द्वारा फार्म नं. 3 के साथ प्रतिवादी सं. 1 के सम्मन प्रति रजि.डाक ट्रेकिंग रिपोर्ट प्रस्तुत की। तारीख पेशी दिनांक 09.10.2024 को पीठासीन अधिकारी बिलाडा दौरे पर दिगर कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 16.10.2024 को मुकर्र की गई। दिनांक 16.10.2024 को प्रतिवादी सं. 1 बावजूद तामिल/सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 05.11.2024 को प्रतिवादी सं. 2 को जवाब का अवसर दिया जाकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 20.11.2024 को मुकर्र की गई। दिनांक 20.11.2024 को प्रतिवादी सं. 2 बावजूद तामिल/सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा दिनांक 02.12.2024 को हस्तगत प्रकरण में पारित निर्णय आदेश एवं डिक्री के संबंध में प्रार्थीया चन्द्रकांता ने राजस्व वाद सं. 66/2024 में प्रतिवादीगण को समुचित तामिल नही होने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता पेश कर राजस्व वाद संख्या 66/2024 में दिनांक 16.10.2024 को अमल में लाई एक पक्षीय कार्यवाही तथा दिनांक 02.12.2024 को पारित अंतिम आदेश निर्णय एवं डिक्री को अपास्त किये जाने का निवेदन किया है।

अप्रार्थीगण ने हस्तगत प्रार्थनापत्र का जवाब प्रार्थनापत्र पेश कर कथन किया है कि अप्रार्थीगण तुलछीदेवी वगैरा की ओर से न्यायालय हाजा में वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया था जिसकी तामिल हेतु सम्मन जारी किये परन्तु तामिल कुनिन्दा द्वारा जारी सम्मन को न तो तामिल करवाया व न ही माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। जिस पर अप्रार्थी सं. 1 से 6 द्वारा प्रार्थी का सम्मन रजि. डाक से प्रेषित करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थी का सम्मन रजि.डाक से प्रेषित करने हेतु अप्रार्थी सं. 1 से 6 के अधिवक्ता को जरिये दस्ती सुपुर्द किया। अप्रार्थी सं. 1 से 6 अधिवक्ता द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष फार्म नं. 3 के साथ सम्मन की द्वितीय प्रति व पोस्टल रसीद की मूल प्रति व ट्रेकिंग रिपोर्ट पेश की। जिसके आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी का सम्मन रजिस्टर्ड डाक से विधिवत व सम्यक रूप से तामिल होना मानते हुए प्रार्थी बावजूद सम्मन तामिल उपस्थित नहीं होने से प्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दिनांक 16.10.2024 को दिये जाकर प्रकरण में आगामी विचारण करते हुए मूल वाद सं. 66/2024 को निर्णीत एवं डिक्री किया गया था जिसमें किसी भी प्रकार की कोई विधिक भूल नहीं की है। इसलिए प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सिविल प्रक्रिया संहिता काबिल खारिज के होने से खारिज किया जावे।

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाडा

प्रार्थना पत्र के गुणावगुण पर निर्णय पारित करने से पूर्व धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र की सुनवायी किया जाना आवश्यक है। उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। प्रार्थीया अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया जिससे यह विदित होता है कि प्रार्थीया को दिनांक 02.01.2025 न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में जारी प्राथमिक डिक्री के निष्पादन की कार्यवाही बाबत नोटिस के मार्फत सूचना प्राप्त होना प्रतीत होता है। जिसके प्रमाण के तौर पर प्रार्थीया द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा जारी नोटिस की प्रति फार्म नं. 3 के साथ संलग्न की है। प्रार्थीया द्वारा हस्तगत प्रकरण दिनांक 07.01.2025 को न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया जो म्याद में है अतः धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। उक्त विविध प्रार्थना पत्र अन्दर म्याद शुमार किये जाने का आदेश पारित किया जाता है।

अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये। इस प्रकार न्यायिक दृष्टान्त **s.b. Civil Misc. Appeal No 1321 of 2013 Shabbir Hussain Vs Goodluck Nerolac Paints Ltd. में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि– CODE OF CIVIL PROCEDURE, 1908- Order 9 Rule 13- Expare decree cannot be set-aside on the ground of irregularity in service.** इसी प्रकार न्यायिक दृष्टान्त **2021(2) आर. आर.टी 1412 ईश्वरी प्रसाद बनाम ब्रहमानंद वगैरा में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955–धारा 53– प्रतिवादी बी के विरूद्ध वाद एक पक्षीय डिक्री किया– प्रतिवादी को पूर्व की कार्यवाहियों में एक पक्षीय आदेश अपास्त किये बगैर भाग लेने का अधिकार नहीं है लेकिन उपस्थित होने की तारीख से कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है– प्रतिवादी बी को वादी से जिरह का अवसर दिया जाना चाहिए था– अन्तिम डिक्री में संशोधन के संबंध में सूचना प्रतिवादी को नहीं दी– प्रतिवादी द्वारा धारा 88 व 188 के अन्तर्गत वाद पेश किया गया किन्तु धारा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत खारिज किया – विलम्ब शमन हेतु पर्याप्त कारण स्पष्ट किया– धारा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत तर्क सम्मत आदेश पारित करना चाहिये था– निर्णीत, आदेश सही अपास्त किये।** इसी प्रकार न्यायिक दृष्टान्त **अपील डिक्री नंबर 32/1999 में छितर लाल बनाम लक्ष्मी नारायण वगैरा में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अभिनिर्धारित किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955– धारा 53 विभाजन हेतु वाद विचारण न्यायालय ने वाद खारिज किया– अपील भी खारिज हुई– पक्षकार सहखातेदार है– विचारण न्यायालय ने गांव कालादेवा की विवादित भूमि में 1/4 व 3/4 हिस्सा होना माना– विवादित भूमि पर रेस्पोडेण्ट का कब्जा– सहखातेदार की भूमि पर एडवर्स पजेशन का सिद्धान्त आकर्षित नहीं होता– पक्षकारों के हिस्से अनुसार विभाजन के लिये प्रारम्भिक डिक्री पारित करने का निर्देश दिया– मामला प्रतिप्रेषित किया।**

प्रार्थीया द्वारा न्यायिक दृष्टान्त पेश किया। न्यायिक दृष्टान्त **2011–12 आर.आर.टी 330 Maliram Vs L.Rs. of Sadhu माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अभिनिर्धारित किया कि– सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908– आदेश 9 नियम 13– 13 वर्ष बाद वाद एकपक्षीय डिक्री अपास्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया और विचारण न्यायालय ने इसे स्वीकार किया– निगरानी– रेकार्ड पर तामीलशुदा सम्मन नहीं– सम्मन तामील होने**

के संबंध में साक्ष्य नहीं– सम्मन की सम्यक रूप से तामिल नहीं हुई– विलम्ब माफ करने में विचारण न्यायालय ने विवेक का उपयोग किया– मामला गुणागुण पर निर्णीत करना चाहिए न कि तकनीकी आधारों पर– निगरानी का क्षेत्र सीमित है।– निर्णीत, आदेश में हस्तक्षेप अस्वीकार किया एवं आदेश यथावत रखा।

आदेश 09 नियम 13 व्यवहार प्रक्रिया संहिता में निम्नानुसार विधिक प्रावधान हैः–

"13. प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करना– किसी ऐसे मामले में जिसमें डिक्री किसी प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय पारित की गई है, वह प्रतिवादी उसे अपास्त करनें के आदेश के लिए आवेदन उस न्यायालय में कर सकेगा जिसके द्वारा वह डिक्री पारित की गई थी और यदि वह न्यायालय का यह समाधान कर देता है कि समन की तामील सम्यक् रूप से नहीं की गई थी या वाद की सुनवाई के लिए पुकार होनें पर उपसंजात होनें से किसी पर्याप्त हेतुक से निवारित रहा था तो खर्चों के बारे में, न्यायालय में जमा करनें के या अन्यथा ऐसे निर्बन्धनों पर जो वह ठीक समझे, न्यायालय यह आदेश करेगा कि जहाँ तक डिक्री उस प्रतिवादी के विरूद्ध है वहां तक वह अपास्त कर दी जाएं, और वाद में आगे कार्यवाही करनें के लिए दिन नियत करेगा;

परन्तु जहाँ डिक्री ऐसी है कि केवल ऐसे प्रतिवादी के विरूद्ध अपास्त नहीं की जा सकती है वहां व अन्य सभी प्रतिवादियों या उनमें से किसी या किन्हीं के विरूद्ध भी अपास्त की जा सकेगी;

परन्तु यह और कि यदि किसी न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि प्रतिवादी को सुनवाई की तारीख की सूचना थी और उपसंजात होनें के लिए और दावे का उत्तर देनें के लिए पर्याप्त समय था तो वह एकपक्षीय पारित डिक्री को केवल इस आधार पर अपास्त नहीं करेगा कि समन की तामील में अनियमितता हुई थी।"

हमनें हस्तगत प्रार्थनापत्र के समुचित निस्तारण व न्याय–निर्णयन हेतु उपरोक्त न्यायिक नजीरों एवं दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन–अवलोकन करते हुए यथोचित मार्गदर्शन प्राप्त किया। अप्रार्थी सं. 1 से 6 द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद सं. 66/2024 में फार्म नं. के संलग्न जमाबंदी संवत् 2075–2078 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अप्रार्थी सं. 1 से 6 खसरा नंबर 14 व खसरा नंबर 30 में रेकर्डेड सहखातेदार राजस्व जमाबंदी में इन्द्राज है। अप्रार्थीगण द्वारा हस्तगत प्रकरण में जारी प्राथमिक डिक्री निर्णय आदेश से किसी अप्रार्थीगण या प्रार्थीया के हिस्से में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। प्रार्थीया द्वारा रजि. डाक पर पूर्ण पता अंकित नहीं होना बताया तथा अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत ट्रेकिंग रिपोर्ट पर आपति पेश की। हस्तगत प्रकरण में फार्म नं. 3 के साथ संलग्न ट्रेकिंग रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया कि दिनांक 05.08.2024 को समय 17:44:45 में out of Delivery अंकित किया हुआ है जबकि उसी दिनांक 05.08.2024 को समय 17:44:56 पर Item Onhold Door Locked-Intimation served अंकित किया हुआ है फिर इसी दिनांक 05.08.2024 को समय 10:02:59 में out of Delivery अंकित किया हुआ है और इसी दिनांक 05.08.2024 को समय 15:57:07 में Item Delivered अंकित किया हुआ है। प्रार्थीया द्वारा ट्रेकिंग रिपोर्ट पर आपति पेश की गई किन्तु ट्रेकिंग रिपोर्ट की सत्यता की जांच करना राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है। प्रार्थीया ट्रेकिंग रिपोर्ट के संबंध में कानूनी कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। प्रार्थीया विवादग्रस्त भूमि पर रेकर्डेड सहखातेदार है

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

तथा उसे सुनवायी का अवसर दिया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है, ताकि प्रकरण का निस्तारण साक्ष्य सबूत के आधार पर किया जा सके एवं किसी प्रकार के बहुमूल्य अधिकारों की रक्षा भी की जा सके। प्रार्थीया द्वारा वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से के गलत होने अथवा हिस्से के बारे में विवाद होने का कोई तथ्य नहीं उठाया है फिर भी प्रार्थीया को आगामी तारीख पेशी तक का समय दिया जाता है कि प्रार्थीया हस्तगत प्रकरण में जवाब पेश कर अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रख सकें ताकि निर्णय करने में सुगमता रहें। अप्रार्थी सं. 1 से 6 रेकर्डेड खातेदार होने से बंटवाडा करवाना उनका अधिकार है। प्रार्थीया द्वारा आगामी तारीख पेशी तक में जवाब पेश नहीं करने पर पत्रावली को अगले स्तर पर अग्रेषित कर दिया जायेगा।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रकरण संख्या 66/2024 अनवान तुलछीदेवी वगैरा बनाम चन्द्रकांता वगैरह में दिनांक 16.10.2024 को की गई एकपक्षीय कार्यवाही तथा दिनांक 02.12.2024 को पारित निर्णय एवं डिक्री के संबंध में प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. तकनीकी एवं गुणावगुण दोनों आधारों पर भली-भांति साबित होने व सारवान होने से स्वीकार किया जाना विधिसंगत व उचित रहेगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया/प्रतिवादीगण अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता प्रार्थीया/प्रतिवादीगण के पक्ष में बखूबी साबित होने तथा सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूलवाद संख्या 66/2024 अनवान तुलछीदेवी बनाम चन्द्रकांता वगैराह के साथ संलग्न हो तथा प्रतिवादीगण/प्रार्थीया को सुनवायी का पूर्ण अवसर प्रदान कर अग्रिम कार्यवाही को किया जावे। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर जमा हो।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बिलाडा
(जिला-जोधपुर)

निर्णय आज दिनांक 17/03/25 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बिलाडा
(जिला-जोधपुर)